



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या - 368 राँची, शुक्रवार,

5 अगस्त, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

21 जून, 2022

आदेश सं०-5/आरोप-1-97/2019 का०- 3787--श्री राजेश कुमार लिण्डा, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-744/03), सम्प्रति- मृत (दिनांक 16.04.2022) के विरुद्ध उनकी पत्नी श्रीमती उषा लिण्डा के पत्र, दिनांक 07.11.2019 द्वारा मारपीट, गाली-गलौज करने एवं घरेलू हिंसा करने संबंधी परिवाद पत्र समर्पित किया गया है।

उक्त आरोपों के लिए श्री लिण्डा से विभागीय पत्रांक-9497, दिनांक 28.11.2019 एवं स्मार पत्रों द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा विभागीय पत्रांक-9497, दिनांक 28.11.2019 एवं स्मार पत्रों द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी।

इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक-3841/जि०शि०को०, दिनांक 10.12.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि आवेदिका उषा लिण्डा, पति राजेश लिण्डा के लिखित आवेदन के आधार पर लालपुर थाना कांड सं०-286/18, दिनांक 08.08.2018 में श्री राजेश कुमार लिण्डा के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण पाते हुए धास498(ए) भा०द०वि० के अन्तर्गत आरोप पत्र सं०-02/2020, दिनांक 05.01.2020 समर्पित किया गया है।

पुनः श्रीमती उषा लिण्डा द्वारा आवेदन समर्पित करते हुए श्री लिण्डा की वर्तमान वेतन पर्ची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-2090, दिनांक 31.03.2022 द्वारा श्रीमती उषा लिण्डा से प्राप्त आवेदन की प्रति अग्रतर कार्रवाई हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रेषित की गयी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-558, दिनांक 05.05.2022 द्वारा श्री लिण्डा की मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचित किया गया है कि श्री राजेश कुमार लिण्डा अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची का निधन दिनांक 16.04.2022 को हो गया है।

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के पत्र, दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 में निम्न प्रावधान है-

"The undersigned is directed to say that this Department has been receiving references seeking clarification whether disciplinary cases initiated against the Government servant under CCS (CCA) Rules, 1965, could be closed in the event of death of the charged officer during pendency of the proceedings. After careful consideration of all the aspects, it has been decided that where a Government servant dies during the pendency of the inquiry i.e. without charges being proved against him, imposition of any of the penalties prescribed under the CCS (CCA) Rules, 1965, would not be justifiable. Therefore, disciplinary proceedings should be closed immediately on the death of the alleged Government servant."

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए श्री राजेश कुमार लिण्डा, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-744/03) की मृत्यु दिनांक 16.04.2022 को हो जाने के फलस्वरूप उनसे संबंधित विभाग में प्राप्त सारे परिवाद पत्र को संचिकास्त किया जाता है।

चिन्टू दोराईबुरु

सरकार के अवर सचिव।
